"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2018—वैशाख 7, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिनेश कुमार वर्मा आत्मज स्व. लखन लाल वर्मा, उम्र 47 वर्ष, वर्तमान निवासी-46/एच, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) स्थाई पता-ग्राम व पो. चंदखुरी, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड व ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम दिनेश कुमार वर्मा आ. श्री लखन लाल वर्मा दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम दिनेश कुमार आ. श्री लखन लाल वर्मा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम/उपनाम दिनेश कुमार वर्मा रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे दिनेश कुमार वर्मा आ. स्व. लखन लाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
दिनेश कुमार (Dinesh Kumar) पिता-श्री लखन लाल वर्मा (S/o- Shri Lakhan Lal Verma) निवासी-वर्तमान निवासी-46/एच, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) स्थाई पता-ग्राम व पो.-चंदखुरी, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	दिनेश कुमार वर्मा (Dinesh Kumar Verma) पिता-स्व. लखन लाल वर्मा (S/o- Late Lakhan Lal Verma) निवासी-वर्तमान निवासी-46/एच, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) स्थाई पता-ग्राम व पो.-चंदखुरी, तह. व जिला - दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वेदुला श्री प्रकाश आत्मज वेदुला नारायण राव, निवासी- विकास नगर, गुढ़ियारी, पोस्ट गुढ़ियारी, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड खण्ड 13 तेलीबांधा रायपुर में कार्यरत हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, राजस्व अभिलेख व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम वी. श्री प्रकाश आ. वी. एन. राव दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम वेदुला श्री प्रकाश रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे वेदुला श्री प्रकाश आ. वेदुला नारायण राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
वी. श्री प्रकाश पिता-वी. एन. राव निवासी-विकास नगर, गुढ़ियारी, पोस्ट-गुढ़ियारी, तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.)	वेदुला श्री प्रकाश पिता-वेदुला नारायण राव निवासी-विकास नगर, गुढ़ियारी, पोस्ट-गुढ़ियारी, तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मोहिनी जग्यासी ध. प. श्री मूलचन्द जग्यासी, उम्र 58 वर्ष, निवासी- 872, कादम्बरी नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम मोहिनी बाई शर्मा आत्मजा श्री भाई अनंदराम उदासी था तथा यह नाम मेरे पेन कार्ड में दर्ज है. मेरा विवाह श्री मूलचन्द जग्यासी के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम के आगे उपनाम "जग्यासी" जोड़कर नया नाम श्रीमती मोहनी जग्यासी रख ली हूं तथा यही नाम मेरे आधार कार्ड में भी दर्ज है. मेरे पेनकार्ड में मेरा नाम श्रीमती मोहिनी शर्मा के स्थान पर श्रीमती मोहनी जग्यासी आत्मजा श्री भाई अनंदराम उदासी पढ़ा जावे. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती मोहिनी जग्यासी ध. प. श्री मूलचन्द जग्यासी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती मोहिनी बाई शर्मा (Smt. Mohini Bai Sharma) पिता-श्री भाईअनंदराम उदासी (D/o- Shri Bhai Anandram Udasi) निवासी-872, कादम्बरी नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती मोहिनी जग्यासी (Smt. Mohini Jagyasi) पति-श्री मूलचन्द जग्यासी (W/o- Shri Mulchand Jagyasi) निवासी-872, कादम्बरी नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अमनदीप कौर रखराज, ध. प. श्री मनिदंर सिंह रखराज, उम्र 42 वर्ष, निवासी-गोविन्द नगर, गुरूद्वारा के पास, पण्डरी, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम अमरदीप कौर कैंथ आत्मजा श्री सोहनसिंह कैंथ था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों में दर्ज है तथा मैं इसी नाम से जानी-पहचानी जाती थी. मेरा विवाह दिनांक 10-12-1995 को श्री मनिदंर सिंह रखराज के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपने नाम के साथ उपनाम "रखराज" जोड़कर नया नाम श्रीमती अमनदीप कौर रखराज रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती अमनदीप कौर रखराज ध. प. श्री मनिदंर सिंह रखराज के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अमरदीप कौर कैंथ
(Amardeep kaur kainth)
पिता-श्री सोहनसिंह कैंथ
(D/o- Shri Sohansingh kainth)
निवासी-H-28, राजधानी विहार सद्दू
विधान सभा रोड, रायपुर
जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

अमनदीप कौर रखराज
(Smt. Amandeep kaur Rakhraj)
पति-श्री मनिदंर सिंह रखराज
(W/o- Shri Maninder Singh Rakhraj)
निवासी-गोविन्द नगर,
गुरूद्वारा के पास, पण्डरी, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती उमाबाई सेन ध. प. श्री शंकर लाल सेन, उम्र 55 वर्ष, निवासी-ढ़ीमर पारा, बजरंग मंदिर के पास, वार्ड-33, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र राशन कार्ड, बैंक खाता आदि में मेरा सही व वास्तविक नाम दर्ज है किन्तु मेरे नाम की कृषि भूमि, जो कि मौजा ग्राम-निकुम, जिला दुर्ग में है, उस भूमि के अभिलेख में मेरा घरेलू नाम कुमारी बाई दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम श्रीमती उमाबाई सेन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती उमाबाई सेन ध. प. श्री शंकर लाल सेन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती कुमारी बाई
पति-श्री शंकर लाल सेन
निवासी-ढ़ीमर पारा, बजरंग मंदिर के पास,
वार्ड नं.-33 दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती उमाबाई सेन
पति-श्री शंकर लाल सेन
निवासी-ढ़ीमर पारा, बजरंग मंदिर के पास,
वार्ड नं.-33 दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिव कुमार वर्मा आत्मज स्व. आनंदी राम वर्मा, उम्र 52 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 165/इ रिसाली सेक्टर, भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड में मेरा पूर्ण व सही नाम शिवकुमार वर्मा आ. स्व. आनंदी राम वर्मा दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम शिव कुमार आ. आनंदी राम दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम शिव कुमार वर्मा आ. स्व. आनंदी राम वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे शिव कुमार वर्मा आ. स्व. आनंदी राम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

शिव कुमार (Shiv Kumar)
पिता-आनंदी राम (S/o-Anandi Ram)
निवासी-क्वा. नं. 165/इ,
रिसाली सेक्टर, भिलाईनगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

शिव कुमार वर्मा
(Shiv Kumar Verma)
पिता-स्व. आनंदी राम वर्मा
(S/o-Late Anandi Ram Verma)
निवासी-क्वा. नं. 165/इ,
रिसाली सेक्टर, भिलाईनगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिलीप सिंह सलुजा, आत्मज श्री चुन्नीलाल सलुजा, निवासी-वार्ड नं.-08, बेमेतरा, तहसील व जिला बेमेतरा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा वास्तविक नाम दिलीप सिंह सलुजा है जो कि मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों /अभिलेखों व मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पेनकार्ड में मेरा नाम दिलीप शाह सलुजा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं मेरा सही नाम मेरे पेनकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे दिलीप सिंह सलुजा आ. श्री चुन्नीलाल सलुजा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

दिलीप शाह सलुजा
पिता-श्री चुन्नीलाल सलुजा
निवासी-वार्ड नं.-08, बेमेतरा,
तहसील व जिला-बेमेतरा (छ. ग.)

नया नाम

दिलीप सिंह सलुजा
पिता-श्री चुन्नीलाल सलुजा
निवासी-वार्ड नं.-08, बेमेतरा,
तहसील व जिला- बेमेतरा (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्टर पब्लिक ट्रस्ट, महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ. ग.)

महासमुन्द, दिनांक 24 मार्च 2018

क्रमांक/393/क/वाचक-1/अविअ/2018.—स्थापक/सेटलर नितेश मोरयानी पिता श्रीचंद मोरयानी निवासी ग्राम इमलीमांठा महासमुन्द के द्वारा 1100.00 रुपये मात्र नामांकित कर ट्रस्टीज के द्वारा ट्रस्ट का नाम विपश्यना साधना ट्रस्ट रखा जाकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ट्रस्ट का पंजीयन कराये जाने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवायी हेतु दिनांक 31-03-2018 को नियत है.

एतद्द्वारा सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा आवेदित विषय के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति/दावा प्रस्तुत करना या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना पत्र के तहत नियत अवधि में इस न्यायालय में अपने प्रतियों में आपत्ति/दावा या सुझाव स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति/दावा या सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	विपश्यना साधना ट्रस्ट महासमुन्द प. ह. नं. 42 रा. नि. मं. तहसील व जिला महासमुन्द (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	1100.00 रुपये (ग्यारह सौ रुपये मात्र)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

प्रेमप्रकाश शर्मा
रजिस्टार

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास कोरबा जिला कोरबा छ. ग.

कोरबा, दिनांक 16 अप्रैल 2018

रा. प्र. क्र. 02/ब-113/2017-2018
ग्राम -कनकी, प. ह. नं.-02
तहसील-करतला, जिला-कोरबा, छ. ग.

क्रमांक/1187/अ.वि.अ. /वा -1/2018.—आवेदक अध्यक्ष कनकेश्वर सेवा समिति कनकी धाम, तहसील-करतला, जिला-कोरबा द्वारा कनकीधाम शिव मंदिर को ट्रस्ट का पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 09-05-2018 को विचार किया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति कनकीधाम शिव मंदिर के संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो इस ईश्तहार/सूचना से लोग न्यास एवं उसकी गठन पर आपत्ति रखता हो तो अपना पक्ष रखा सकता है.

मैं बी. एस. मरकाम अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा अध्यक्ष कनकेश्वर सेवा समिति कनकी का लोक न्यासों की पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 09-05-2018 को उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 01 के द्वारा यथा अपेक्षित जॉच करना प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकते है. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

बी. एस. मरकाम,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/359.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2016/1109 दुर्ग, दिनांक 12-09-2016 के द्वारा श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक को हमाल श्रमिक कल्याण सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 2569 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से महासमुंद जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियाँ जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक के स्थान पर श्री अमित श्रीवास्वत, सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को हमाल श्रमिक कल्याण सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 2569 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/360.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2016/1110 दुर्ग, दिनांक 12-09-2016 के द्वारा श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक को खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या. नंदनीखुंदनी, पंजीयन क्रमांक 2563 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से महासमुंद जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियाँ जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक के स्थान पर श्री अमित श्रीवास्वत, सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या. नंदनीखुंदनी, पंजीयन क्रमांक 2563 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/361.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2016/1108 दुर्ग, दिनांक 12-09-2016 के द्वारा श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक को म्यूनिसपल कर्मचारी साख समिति मर्या. दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 467 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से महासमुंद जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक के स्थान पर श्री अमित श्रीवास्वत, सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को म्यूनिसपल कर्मचारी साख समिति मर्या. दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 467 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/362.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2016/1106 दुर्ग, दिनांक 12-09-2016 के द्वारा श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक को संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या. शारदा, पंजीयन क्रमांक 21 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से महासमुंद जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक के स्थान पर श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक को संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या. शारदा, पंजीयन क्रमांक 21 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/363.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2016/1107 दुर्ग, दिनांक 12-09-2016 के द्वारा श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक को मां अन्नपूर्णा फल सब्जी उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. मतवारी, पंजीयन क्रमांक 142 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से महासमुंद जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक के स्थान पर श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक को मां अन्नपूर्णा फल सब्जी उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. मतवारी, पंजीयन क्रमांक 142 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/364.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2016/1172 दुर्ग, दिनांक 12-09-2016 के द्वारा श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक को कंचनतारा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2734 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से महासमुंद जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक के स्थान पर श्री अमित श्रीवास्वत, सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को कंचनतारा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2734 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/365.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2016/1170 दुर्ग, दिनांक 12-09-2016 के द्वारा श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक को श्री सांई बाबा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. केम्प-2, भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2952 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से महासमुंद जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक के स्थान पर श्री अमित श्रीवास्वत, सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को श्री सांई बाबा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. केम्प-2, भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2952 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/366.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/686 दुर्ग, दिनांक 02-06-2014 के द्वारा श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक को कौशल कामगार सहकारी समिति मर्या. कुम्हारी, पंजीयन क्रमांक 2579 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से महासमुंद जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षक के स्थान पर श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक को कौशल कामगार सहकारी समिति मर्या. कुम्हारी, पंजीयन क्रमांक 2579 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.